माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक आज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक 28 जून को राजधानी स्थित प्रदेशीय कार्यालय में होगी। प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने बताया कि बैठक में शिक्षकों के लंबित मुद्दों, तदर्थ शिक्षकों की बहाली, चिकित्सा भत्ता, बकाया मानदेय देने आदि के मुद्दे पर रणनीति तय की जाएगी। बैठक में संरक्षक मंडल के सभी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष/मंत्री उपस्थिति होंगे। ब्यूरो

अमर उजाला

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001: 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, (उ0प्र0) वेबसाइट: www.ldaonline.co.in

@LkoDevAuthority @LkoDevAuthority @lda_online

ई-निविदा सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों/प्रवेश पार्क शुल्क हेतु ई-ऑक्शन दिनांक 22.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे से https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जायेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु ठेकेदारों/फर्म/व्यक्तियों को ई-ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए आरक्षित दर से आगणित पार्किंग स्टैण्ड/कैन्टीन/प्रवेश पार्क शुल्क के मूल्य का 20 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑनलाईन जमा कराकर वांछित प्रपत्र दिनांक 01.07.2024 से 18.07.2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही ई-ऑक्शन में प्रतिभाग किया जा सकेगा। (पार्किंग/प्रवेश शुल्क के ठेके की अवधि कब्जे से 03 वर्ष हेतु की जायेगी) पार्किंग स्टैण्डों/प्रवेश पार्क शुल्क की ई-ऑक्शन की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ldaonline.co.in पर देखी जा सकती है।

बलराम, अनु सचिव **राजीव कुमार, विशेषकार्याधिकारी** **ज्ञानेन्द्र वर्मा, अपर सचिव**

28/06/2024

...जाएगा। आयो...
सक्सेना ने ...

पंजाब ...
मण्डल कार्यालय ...
पंजाब नेशन...
स्थानांतरण...
वाले उपयु...
आधार पर...
साथ) होना...
होने चाहिए...
परिसर को...
देने के लि...
निर्धारित...
हस्ताक्षरित...
सायं 5:1...
नहीं किया...
विवेकाधि...
दिनांक : 2...

...RING
1800 102 5661
...S
ADMISSIONS OPEN 2024-25

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

–: ई–निविदा सूचना :–

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अन्तर्गत विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों/प्रवेश पार्क शुल्क हेतु ई–ऑक्शन दिनांक 22-07-2024 को प्रातः 11:00 बजे से https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जायेगा। ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु ठेकेदारों/फर्म/व्यक्तियों को ई–ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए आरक्षित दर से आगणित पार्किंग स्टैण्ड/कैन्टीन/प्रवेश पार्क शुल्क के मूल्य का 20 प्रतिशत (ई0एन0डी0) ऑनलाईन जमा कराकर वांछित प्रपत्र दिनांक 01-07-2024 से 18-07-2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही ई–ऑक्शन में प्रतिभाग किया जा सकेगा। (पार्किंग/प्रवेश शुल्क के ठेके की अवधि 03 वर्ष हेतु की जायेगी)।

पार्किंग स्टैण्डों का विवरण निम्नवत् हैं :–

क. सं.	पार्किंग स्थल का नाम	आरक्षित धनराशि तीन वर्ष हेतु।	जमानत धनराशि (आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत)
1	स्मृति उपवन कानपुर रोड स्थित पार्किंग स्टैण्ड	21,67,395/–	4,33,479/–
2	शहीद स्मारक पार्क की पार्किंग स्टैण्ड एवं कैन्टीन	12,76,395/–	2,55,279/–
3	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर वनस्थली पार्क का प्रवेश पार्क टिकट व पार्किंग स्टैण्ड	38,94,000/–	7,78,800/–
4	बेगम हजरत महल पार्क स्थित पार्किंग स्टैण्ड.	11,08,800/–	2,21,760/–
5	नेहरू बाल वाटिका (अलीगंज) के बाहर पार्किंग स्टैण्ड	4,02,231/–	80,447/–
6	बसन्त कुंज योजना में स्थित जागर्स पार्क की पार्क प्रवेश टिकट/पार्किंग स्टैण्ड	28,24,800/–	5,64,960/–
7	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–01+फूड वैन लगाने की अनुमति	94,27,395/–	18,85,479/–
8	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–02+फूड वैन लगाने की अनुमति	42,30,000/–	8,46,000/–
9	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–03+फूड वैन लगाने की अनुमति	40,35,000/–	8,07,000/–
10	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–04+फूड वैन लगाने की अनुमति	19,20,000/–	3,84,000/–
11	डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क की पार्किंग स्टैण्ड	26,43,300/–	5,28,660/–

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्तें लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldaonline.co.in पर देखी जा सकती है।

(बलराम)
अनु सचिव

(राजीव कुमार)
विशेषकार्याधिकारी

(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner

अनुभाग अधिकारी/अनु सचिव/विशेष कार्याधिकारी

कृपया लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के अर्न्तगत विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों/प्रवेश पार्क शुल्क हेतु ई–ऑक्शन दिनांक 22-07-2024 को प्रातः 11:00 बजे से https://ldaauction.procure247.com/ पर किया जायेगा। ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु ठेकेदारों/फर्म/व्यक्तियों को ई–ऑक्शन पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए आरक्षित दर से आगणित पार्किंग स्टैण्ड/कैन्टीन/प्रवेश पार्क शुल्क के मूल्य का 20 प्रतिशत (ई0एम0डी0) ऑनलाईन जमा करके वांछित प्रपत्र दिनांक 01-07-2024 से 18-07-2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही ई–ऑक्शन में प्रतिभाग किया जा सकेगा। (पार्किंग/प्रवेश शुल्क के ठेके की अवधि 03 वर्ष की जायेगी)

पार्किंग स्टैण्डों का विवरण निम्नवत् हैं :–

क. सं.	पार्किंग स्थल का नाम	आरक्षित धनराशि तीन वर्ष हेतु।	जमानत धनराशि (आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत)
1	स्मृति उपवन कानपुर रोड स्थित पार्किंग स्टैण्ड	21,67,395/–	4,33,479/–
2	शहीद स्मारक पार्क की पार्किंग स्टैण्ड एवं कैन्टीन	12,76,395/–	2,55,279/–
3	डा0 वी0आर0 अम्बेडकर वनस्थली पार्क का प्रवेश पार्क टिकट व पार्किंग स्टैण्ड	38,94,000/–	7,78,800/–
4	बेगम हजरत महल पार्क स्थित पार्किंग स्टैण्ड	11,08,800/–	2,21,760/–
5	नेहरू बाल वाटिका (अलीगंज) के बाहर पार्किंग स्टैंण्ड	4,02,231/–	80,447/–
6	वसन्त कुंज योजना में स्थित जागर्स पार्क की पार्क प्रवेश टिकट/पार्किंग स्टैण्ड	28,24,800/–	5,64,960/–
7	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–01+फूड वैन लगाने की अनुमति	94,27,395/–	18,85,479/–
8	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–02+फूड वैन लगाने की अनुमति	42,30,000/–	8,46,000/–
9	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–03+फूड वैन लगाने की अनुमति	40,35,000/–	8,07,000/–
10	जनेश्वर मिश्र पार्क की पार्किंग नं0–04+फूड वैन लगाने की अनुमति	19,20,000/–	3,84,000/–
11	डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क की पार्किंग स्टैण्ड	26,43,300/–	5,28,660/–

उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्ते लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी व प्राप्त की जा सकती है। (पार्किंग स्टैण्ड की नियम एवं शर्ते पत्रावली के एन पृष्ठ संख्या–43 से 49 तक पूर्व से अनुमोदित है।

उपरोक्तनुसार नीलामी की नियम शर्तो की स्वीकृति प्रदान करने व ई–की कार्यवाही निम्न समिति के सदस्यों द्वारा कराया जाना उचित होगा।

Scanned with CamScanner

ल०वि०प्रा०

विवेचन व आदेश | पृष्ठ संख्या

अपर सचिव	अध्यक्ष
वित्त नियन्त्रक	सदस्य
मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
विशेषकार्याधिकारी (रेण्ट)	सदस्य
विशेषकार्याधिकारी (टेक्निकल)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता जोन–1,2,4,6,7	सदस्य

उपरोक्तानुसार पार्किंग स्टैण्डों को 03 वर्ष के लिए ई–ऑक्शन के माध्यम से दिये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किये जाने का प्रारूप तैयार कर सम्मुख संलग्न कर दिया गया है। अवलोकनोपरान्त प्रारूप पर हस्ताक्षर करने तथा उपरोक्तानुसार समिति के माध्यम से ई–आक्शन की कार्यवाही किये जाने एवं दैनिक समाचार पत्र, लखनऊ में 01 हिन्दी व 01 अंग्रेजी समाचार पत्र, में विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने की अनुमति तथा ई–आक्शन की तिथि निर्धारित किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत है।

26/06/2024
(ओमप्रकाश)
[illegible]
ल०वि०प्रा०

26/6/24
वीरेन्द्र सिंह
अनुभाग अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

26/6/24
(बलराम)
सम्पत्ति अधिकारी
ल०वि०प्रा०

26.6.2024
(राजीव कुमार)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उपा० सचिव

26.6.24
(ज्ञानेन्द्र वर्मा)
अपर सचिव
ल०वि०प्रा०

26.6.24
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

ल0वि0प्रा0 विवेचन व आदेश पृष्ठ संख्या

(53)

तहसीलदार

अनुभाग अधिकारी/नायब तहसीलदार/संयुक्त सचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ संख्या–42 पर नायब तहसीलदार महोदया से हुयी वार्ता एवं पृष्ठ संख्या–35 पर सचिव महोदय के आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि जमा की जाने वाली एफ0डी0आर0 को बढ़ाकर लिया जाये, जिससे कि ठेकेदार प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा करने में विलम्ब न करें तथा यदि प्राधिकरण की कोई हानि हो तो जमा एफ0डी0आर0 से हानि की भरपाई की जा सके। जिसके अनुपालन में अवगत कराना है कि पूर्व में ठेके की आरक्षित दर का 10 प्रतिशत का एफ0डी0आर0 के स्थान पर अब वर्तमान में ठेके की सर्वोच्च दर का 30 प्रतिशत का एफ0डी0आर0 तथा ई0एम0डी0/जमानत धनराशि/टोकन मनी 10 प्रतिशत के स्थान पर अब वर्तमान में ठेके की आरक्षित दर का 20 प्रतिशत लिये जाने हेतु संशोधित किया जा रहा है। साथ ही अवगत कराना है कि सम्मुख संलग्न सचिव महोदय के कार्यालय पत्रांक–153/सचिव–प्रा0भ0 बोर्ड/2020–21 दिनांक–02.01.2021 के साथ संलग्न लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक–11.12.2020 के अनुमोदित प्रस्ताव का अवलोकन करने का कष्ट करें। (पत्रावली के दांयी ओर पृष्ठ संख्या–83 से 87 तक अवलोकनीय है)

लखनऊ विकास प्राधिकरण की पार्किंग स्टैण्डों को नगर निगम को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक–11.12.2020 की मद संख्या–170/8 में निम्नलिखित मल्टी लेविल पार्किंग स्थल/भूमिगत पार्किंग स्टैण्ड/पार्किंग स्टैण्ड, को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है :–

1. मल्टीलेविल पार्किंग हजरतगंज
2. सरोजनी नायडू पार्क भूमिगत पार्किंग
3. चन्दर नगर स्थित आलमबाग की भूमिगत पार्किंग
4. भूतनाथ स्थित भूमिगत पार्किंग
5. गोल मार्केट स्थित भूमिगत पार्किंग।
6. महानगर स्थित फातिमा हॉस्पिटल के सामने की पार्किंग।

(बोर्ड बैठक के अनुमोदन की प्रति दांयी ओर पृष्ठ संख्या–83 से 87 तक अवलोकनीय है)

उक्तानुसार 06 पार्किंग स्टैण्डों (भूमिगत/मल्टी लेविल एवं 01 ओपेन पार्किंग) नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाना है, जिसकारण इन पार्किंगों को छोड़कर, अन्य पार्किंग स्टैण्डों की नीलामी में लगाये जाने हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। चूँकि उक्त भूमिगत/मल्टी लेविल पार्किंग स्टैण्डों को नीलामी से हटाये जाने के बाद नीलामी की शर्तें भी संशोधन किया जाना भी आवश्यक है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न पार्किंग स्टैण्डों का ई–आक्शन/नीलामी (तीन वर्ष) के सम्बन्ध में निर्धारित नियम एवं शर्तें :–

1. लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट की तीन वर्षो के लिए पार्किंग शुल्क की ई–नीलामी आमंत्रित की जाती है।

"D" ब्लैक लिस्टेड

(५४)

2- निविदादाता फर्म/कर्न्सोटियम/कम्पनी हेतु पार्टनरशिप सोसायटी एक्ट एवं कम्पनी अधिनियम के अर्न्तगत सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

3- ई-आफरदाता द्वारा निम्नलिखित स्व-प्रमाणित प्रपत्र **eauctionlda.in** पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें।

A. निविदादाता के आधार कार्ड की छायाप्रति।

B. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

C. पैन कार्ड की छायाप्रति।

D. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता को पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है। ई-आक्शन में ब्लैक लिस्टेट ठेकेदार/फर्म, प्रतिभाग नही कर सकता है।

E. इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता का कोई रिश्तेदार/सम्बन्धी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में सेवारत नही है, तथा ठेकेदार/फर्म का लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के ऊपर पार्किंग स्टैण्ड के मद में किसी भी प्रकार की देयता अवशेष नही है।

F- आफरदाता/ठेकेदार/कम्पनी/फर्म के बैंक खाते की कास चेक की प्रति।

G- आफरदाता/ठेकेदार/कम्पनी/फर्म को अपना पैन कार्ड नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर, ई-मेल तथा वॉटस् एप मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4. तीन वर्षो हेतु पंजीकरण शुल्क रू0-1050/- (जी.एस.टी. सहित) प्रति पार्किंग स्टैण्ड का पंजीकरण कराये जाने हेतु निर्धारित किया जा रहा है। आफरदाता द्वारा अलग-अलग पार्किंग हेतु अलग-अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। आफरदाता द्वारा प्रत्येक पार्किंग हेतु आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत की ई0एम0डी0/जमानत धनराशि निर्धारित अवधि में आनलाईन जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही आफरदाता/ठेकेदार/कम्पनी/फर्म द्वारा ई-नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकेगा। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात प्रेषित मांग पत्र के अनुसार 15 दिवस में बिन्दु संख्या-10 में अंकित शर्त के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

5. पार्किंग शुल्क की वसूली की अनुमति एवं अवधि कब्जा प्राप्त करने की अवधि से 03 वर्ष हेतु मान्य होगी। (ई-आक्शन की नियम एवं शर्तो में अंकित प्राविधानों के अधीन होगी) पार्किंग शुल्क वसूली की उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर आफरदाता/ठेकेदार का कब्जा/ठेका स्वतः समाप्त माना जायेगा तथा उक्त पार्किंग स्थल का कब्जा छोड़ दिया जायेगा।

6. ई-आफरदाताओं/फर्म द्वारा विभिन्न पार्किंग स्थलों के लिए आमंत्रित की जा रही ई-नीलामी हेतु पंजीकरण एवं ई0एम0डी0 (जमानत धनराशि) दिनांक........................... से ....तक **eauctionlda.in** पर किया जा सकता है।

7. दिनांक ..../ /2021 को प्रातः 11.00 बजे से ऑनलाईन नीलामी की जायेगी।

8. ई-आफरदाता द्वारा तीन वर्ष हेतु आरक्षित मूल्य में न्यूनतम रू0-1,000/- जोड़कर, ई-आफर, ऑनलाईन दिया जायेगा। सर्वोच्च ई-आफरदाता के पक्ष में बिड लॉक होने पर ई-आक्शन समिति की संस्तुति उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

9. ई-आफर स्वीकृत होने तथा स्वीकृति की सूचना ई-आफरदाता को प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर ई-आफर की कुल धनराशि का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 व 2 प्रतिशत TAX COLLECION OF SOURCE बिन्दु संख्या-10 के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा तथा पार्किंग का कब्जा प्राप्ति से पूर्व ई-आफर की कुल धनराशि के 04 प्रतिशत मूल्य का स्टैम्प पेपर पर निर्धारित शर्तो के पालन हेतु ई-आफरदाता को प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध कराना होगा।

ऐसा न करने पर ई–आफर निरस्त कर, ई0एम0डी0/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी ई–आफरदाता/ठेकेदार की होगी, ई–आफरदाता को तीन वर्ष हेतु आरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत का एफ0डी0आर0, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगा, पार्किंग स्टैण्ड का कब्जा प्रप्ति से पूर्व प्रस्तुत करना होगा **(उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा)**। जो ठेका संचालन की अवधि तक प्राधिकरण के पास जमा रहेगी, जो ठेका समाप्ति के पश्चात् पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की टूट–फूट, किसी प्रकार के उपकरण की क्षति होती है अथवा किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार/फर्म द्वारा क्षति पूर्ति की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करने के उपरान्त जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी। क्षति पूर्ति की धनराशि न जमा करने पर नियमानुसार एफ0डी0आर0 जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

10. **<u>धनराशि जमा करने का विवरण :–</u>**

ई–आफर स्वीकृत होने के उपरान्त तथा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के पश्चात् तीन वर्ष हेतु प्राप्त सर्वोच्च दर पर निम्नानुसार धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी :–

क– सर्वोच्च आफरदाता के पक्ष में बोली स्वीकृत होने के उपरान्त तथा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर सर्वोच्च बोली का 20 प्रतिशत के अन्तर की धनराशि भी जमा करनी होगी तथा सर्वोच्च ऑफर का प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित समानुपातिक धनराशि 15 दिवस के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। 20 प्रतिशत ई0एम0डी0/जमानत धनराशि, जमानत के रूप में प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। सर्वोच्च बोली की धनराशि का प्रथम वर्ष हेतु समानुपातिक रूप की धनराशि निर्धारित अवधि में नोटिस देने के उपरान्त भी जमा न करने पर ई0एम0डी0/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा। इसी के साथ ही सर्वोच्च बोली की धनराशि का प्रथम वर्ष हेतु जी0एस0टी0 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत TAX COLLECION OF SOURCE को भी समानुपातिक रूप से ही ठेके की धनराशि के साथ, निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्धारित अवधि में धनराशि जमा करने के साथ ही तीन वर्ष हेतु प्राप्त सर्वोच्च ऑफर का 30 प्रतिशत की एफ0डी0आर0 सिक्योरिटी के रूप में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम से उपलब्ध कराना होगा, जो ठेका संचालन की अवधि तक प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। तीन वर्ष हेतु ठेके के प्राप्त मूल्य का 04 प्रतिशत का स्टाम्प पेपर, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, ल0वि0प्रा0, द्वारा स्वयं के नाम से उपलब्ध कराने के उपरान्त अनुबन्ध पत्र निष्पादित होने के पश्चात् ही कब्जा पत्र जारी किया जायेगा। ऐसा न किये जाने पर ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

ख– द्वितीय वर्ष हेतु सर्वोच्च ऑफर का निर्धारित समानुपातिक धनराशि ठेका प्रारम्भ होने (दूसरे वर्ष का) के एक माह पूर्व जमा करना होगा। इसी के साथ ही सर्वोच्च बोली की धनराशि का द्वितीय वर्ष हेतु जी0एस0टी0 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत TAX COLLECION OF SOURCE को भी समानुपातिक रूप से ही ठेके की धनराशि के साथ, निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जमा 20 प्रतिशत ई0एम0डी0/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा।

ग– तृतीय वर्ष हेतु सर्वोच्च ऑफर का निर्धारित समानुपातिक धनराशि ठेका प्रारम्भ होने (तीरारे वर्ष का) के एक माह पूर्व जमा करना होगा, जिसमें 20 प्रतिशत ई0एम0डी0/जमानत धनराशि को समायोजित किया जायेगा। इसी के साथ ही सर्वोच्च बोली की धनराशि का तृतीय वर्ष हेतु जी0एस0टी0 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत TAX COLLECION OF SOURCE को भी

समानुपातिक रूप से ही ठेके की धनराशि के साथ, निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर जमा 20 प्रतिशत ई0एम0डी0/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका स्वतः निरस्त हो जायेगा।

घ– तीन वर्ष हेतु ठेके के मद में सर्वोच्च दर का प्रतिवर्ष 1/3, निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसी के साथ ही ठेके के मद में प्राप्त सर्वोच्च दर का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 2 प्रतिशत TAX COLLECION OF SOURCE को भी प्रतिवर्ष 1/3, निर्धारित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् धनराशि न जमा करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा की गयी ई0एम0डी0/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। जी0एस0टी0 एवं टी0सी0एस0 की धनराशि समय से न जमा करने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा। वांछित धनाशि जमा करने हेतु अधिकतम समय 15 दिन का प्रदान किया जायेगा।

11. **यदि ठेकेदार/निविदादाता/फर्म द्वारा ई–आफर स्वीकृत होने के उपरान्त कब्जा प्राप्त करने से पूर्व किसी भी कारणों से ई0एम0डी0/जमानत धनराशि की वापसी की मांग करता है तो ई0एम0डी0/जमानत धनराशि किसी दशा में वापस नही की जायेगी।**
12. ठेकेदार/निविदादाता/फर्म द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में/कब्जा लेने के पश्चात् पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश टिकट/स्थल छोड देने पर ठेके के मद में जमा धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेगी तथा ई0एम0डी0/जमानत धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेका समाप्ति की अवधि के पश्चात् ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रत्येक दशा में पार्किंग स्थल प्राधिकरण को हस्तगत करना होगा। विलम्ब की दशा में समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ठेकेदार/फर्म द्वारा कब्जा हस्तगत की तिथि तक का उसके द्वारा दी गयी ई–बोली/स्वीकृत दर के समानुपात के रूप में प्राधिकरण को समस्त प्रकार का भुगतान करना होगा। साथ ही पार्किंग के ठेके की अवधि समाप्ति पश्चात् तत्काल पार्किंग का कब्जा प्राधिकरण को हस्तगत करने के पश्चात् ही ठेकेदार/फर्म के पक्ष में एफ0डी0आर0 वापसी की कार्यवाही की जायेगी।
14. असफल ई–आफर दाताओं के पक्ष में ऑनलाईन ही ई0एम0डी0/जमानत धनराशि की वापसी की जायेगी। यदि किसी कारण वश प्राधिकरण की ओर से विलम्ब होता है तो देय धनराशि पर किसी भी प्रकार के ब्याज की मॉग ठेकेदार/फर्म द्वारा नही की जायेगी।
15. ई–आफरदाता द्वारा दी गई बोली के कम में पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट की नियम एवं शर्तो का उल्लंघन करने या किसी अन्य विवाद की स्थिति में बिना नोटिस के पार्किंग ठेका स्वीकृत करने/अस्वीकार करने/निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है। उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा, जिसको किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जायेगी।
16. आपदा, महामारी, दंगा, कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा यातायात व्यवस्था परिवर्तन के कारण पार्किंग बन्द रहने पर यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा यह क्षति निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी।
17. पार्किंग स्थल पर खडे होने वाले वाहनों की गहन जांच वाहन खडे होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कराने की व्यवस्था अपने व्यय पर ठेकेदार/फर्म को करनी होगी।

18. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक की वसूली वाहन मालिकों से किये जाने पर व ई–नीलामी की नियम/शर्तों का उल्लघंन करने की शिकायत पाये जाने पर पांच लाख से कम तक के ई–आफरदाता/ठेकेदार से रू0–20,000/– तथा पांच लाख से अधिक धनराशि के ई–आफरदाता/ठेकेदार से रू0–50,000/– अथवा 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा। पुनः उल्लंघन करने पर ई–आफरदाता/ठेकेदार के पक्ष से ठेका निरस्त कर सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
19. ठेके की अवधि में भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/नगर निगम लखनऊ/ल0वि0प्रा0 लखनऊ द्वारा लगाये गये कर शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व ई–आफरदाता/ठेकेदार का होगा।
20. ठेकेदार द्वारा स्थल पर 5×4 फिट का सूचना पट् जिस पर ई–आफरदाता/ठेकेदार का नाम व पता, मोबाईल नम्बर, स्थल, ठेके की अवधि कब से कब तक, एवं वाहन के दर की सूची अंकित हो, लगवाया जायेगा। जिसकी देख–रेख व सुरक्षा का दायित्व ई–आफरदाता/ठेकेदार का होगा। पार्किंग स्थल का प्रयोग टैक्सी/बस/आटो स्टैण्ड अथवा पार्किंग से भिन्न किसी अन्य प्रकार से नही किया जायेगा।
21. न्यायालय अथवा जनहित में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ/शासन द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत ई–आफर समाप्त कर दिये जाने की दशा में ई–आफरदाता/ठेकेदार बिना किसी आपत्ति के पार्किंग स्थल को खाली करके कब्जा तत्काल लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप देगा। ऐसी दशा में ई–आफरदाता/ठेकेदार की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
22. ई–आफरदाता/ठेकेदार और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व ई–आफरदाता/ठेकेदार का होगा। ई–आफरदाता/ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा लगी किसी एक्सेसरी के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व ई–आफरदाता/ठेकेदार/फर्म का होगा।
23. ई–आफरदाता/ठेकेदार/फर्म द्वारा पार्किंग स्थल पर टोकन उस व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा जिससे पार्किंग शुल्क की वसूली की जानी है। बिना टोकन के कोई भी वाहन पार्किंग स्थल पर खडा नहीं किया जायेगा।
24. मा0 सांसद, मा0 विधायक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी, उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार के सरकारी वाहन तथा मा0 न्यायमूर्ति/मा0 न्यायाधीशगण के वाहन तथा विकलांगजनो के वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे अर्थात इनसे निविदादाता कोई धनराशि नहीं वसूल करेंगा, परन्तु आगन्तुक को टोकन अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
25. यदि पार्किंग स्थल का कब्जा सम्बन्धित ई–आफरदाता/ठेकेदार/फर्म को दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में ई–आफरदाता/ठेकेदार द्वारा लिखित प्रत्यावेदन लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा। ऐसे प्रकरणो पर निर्णय लेने का अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का होगा जो अन्तिम व बाध्यकारी होगा तथा किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जायेगी।
26. पार्किंग स्थल पर ई–आफरदाता/ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही पार्किंग स्थल में किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि लगवाई/लगाई जायेगी और न ही बांस, टट्टर आदि से घेर कर अथवा अन्य प्रकार से

अतिक्रमण किया जायेगा। ऐसा करने पर ई–आफरदाता/ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी अथवा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

27. यदि ठेकेदार/फर्म का लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में पार्किंग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की देयता अवशेष है, तो उसको ई–आक्शन/नीलामी में प्रतिभाग करने का अवसर नही दिया जायेगा। यदि फिर भी यह तथ्य ई–आक्शन/नीलामी के पश्चात् एवं पार्किंग स्थल का कब्जा देने से पूर्व सामने आता है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा दी गयी ई–बोली को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा ई0एम0डी0/जमानत धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा।

28. ई–आफरदाता/ठेकेदार के पक्ष में पार्किंग संचालन की अवधि के दौरान पार्किंग की नियम शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार सचिव/उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 में निहित होगा।

29. ई–ऑफरदाता/ठेकेदार के पक्ष से ठेका/कान्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने पर उनके द्वारा पूर्व में निर्गत किये गये समस्त प्रकार के **''पास''** की अवधि भी स्वतः समाप्त मानी जायेगी, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट की अवधि तक का ही ठेकेदार/फर्म द्वारा **''पास''** जारी किया जायेगा। ठेका समाप्ति के पश्चात् भी यदि ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल का कब्जा प्राधिकरण को हस्तगत न कर, पार्किंग स्टैण्ड पर वसूली का कार्य किये जाने पर एंव प्राधिकरण को वित्तीय हानि पहुँचाये जाने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। साथ ही ठेकेदार को उक्त कृत्य किये जाने के फलस्वरूप ब्लैक लिस्टेड किये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।

30. जैसे है–जहां है, के आधार पर पार्किंग स्थल पर वसूली करने का अधिकार दिया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा अलग से कोई बैरिकेडिंग, भूमि का समतलीकरण, आदि की कोई व्यवस्था नही की जायेगी।

31. पार्किंग संचालन की अनुबंधित अवधि के दौरान पार्किंग परिसर में होने वाली सामान्य टूट–फूट मरम्मत एवं विद्युत/फायर फाईटिंग उपकरणों के अनुरक्षण तथा जनरेटर, लिफ्ट की देखरेख/अनुरक्षण का दायित्व पार्किंग के निविदादाता/संचालनकर्ता का होगा।

32. किसी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि ई–आफरदाता/ठेकेदार द्वारा निविदा फार्म में दी गयी सूचनायें असत्य अथवा अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण है तो निविदा/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

33. **समस्त पार्किंग स्टैण्डो के लिये हैण्ड हेल्ड मशीन द्वारा टिकट निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की दशा में इसे निविदा शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा, जिसके लिए ई–आफरदाता/ठेकेदार का ई–आफर/ठेका निरस्त किया जा सकता है।**

34. पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट का समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही प्रभावी होगा।

35. पार्किंग स्टैण्डों में 04 पहिया वाहन मासिक पास शुल्क रू0–600/– एवं 02 पहिया वाहन हेतु मासिक पास शुल्क रू0–300/– निर्धारित की जा रही है, इससे अधिक की वसूली नही की जायेगी।

36. किसी पार्किंग स्थल पर यदि ठेकेदार/फर्म द्वारा विद्युत कनेक्शन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाता है तो विद्युत बिल का भुगतान ई–आफरदाता/ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा, ल0वि0प्रा0 द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान नही किया जायेगा।

37- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थलों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नउद्धार, गरिमार्जन, परिसीमन अथवा पुर्ननिर्धारण कार्य कराए जाने की स्थिति में संचालक द्वारा किसी प्रकार का

व्यवधान नहीं किया जाएगा और इसके फलस्वरूप संचालक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं प्रस्तुत कर सकेगा।

38. ई–आफरदाता/ठेकेदार को प्रतिदिन पार्किंग स्थल की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु आवश्यक सफाई कर्मी, सफाई का सामान एवं उपकरण आदि की व्यवस्था का दायित्व संचालनकर्ता का होगा। साफ–सफाई में कमी (छतों एवं दिवारों पर जाला) होने/शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में प्रतिदिन रू0–1000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

पार्किंग की आरक्षित दरों के सम्बन्ध में :–

39. ठेके की अवधि कब्जे की तिथि से 03 वर्ष तक ही मान्य होगी। गत वर्ष 2019–20 हेतु अधिकतम बोलीदाता की धनराशि में 10 प्रतिशत की धनराशि जोड़कर एवं इसका 03 गुना करने पर 03 वर्ष का आरक्षित मूल्य माना गया है।

40. पूर्व में जिन पार्किंग स्थलों का ठेका नही हुआ था ऐसे प्रकरणों में पूर्व (वर्ष 2018–19) की आरक्षित दरों को ही अगली अवधि के लिए आरक्षित मूल्य माना गया है।

41. प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्टैण्ड एवं प्रवेश टिकट शुल्क वसूलने हेतु धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है:–

पार्किंग के लिये निर्धारित दरे :–

क्र0 सं0	पार्किंग वाहन	पार्किंग शुल्क प्रथम वर्ष हेतु	पार्किंग शुल्क द्वितीय वर्ष हेतु	पार्किंग शुल्क तृतीय वर्ष हेतु
1.	साईकिल	रू0–05/– प्रति छः घण्टे	रू0–07/– प्रति छः घण्टे	
2.	स्कूटर/मोटर साईकिल	रू0–15/–प्रति छः घण्टे	रू0–15/– प्रति छः घण्टे	रू0–20/– प्रति छः घण्टे
3.	कार/चार पहिया वाहन	रू0–25/–प्रति छः घण्टे	रू0–25/– प्रति छः घण्टे	रू0–30/– प्रति छः घण्टे
4.	पार्क प्रवेश शुल्क	रू0–10/– प्रति व्यक्ति	रू0–15/– प्रति व्यक्ति	
		12 वर्ष से कम बच्चे एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का निःशुल्क पार्क प्रवेश रहेगा।		
5.	ट्रक्टर ट्राली वाहन	रू0–65/–		रू0–70/–
नोट–फूड वैन का आकार 3.00 Mt X 4.50 Mt =13.50 वर्ग मीटर से अधिक का नही होगा।				

उपरोक्तानुसार पत्रावली के नोट शीट के पृष्ठ संख्या–43 से 49 तक अंकित पार्किंग स्टैण्ड की ई–आक्शन/नीलामी की नियम एवं शर्तों के अनुसार 03 वर्ष हेतु पार्किंग स्टैण्ड/प्रवेश पार्क टिकट का कान्ट्रैक्ट/ठेका ऑनलाईन करवाये जाने एवं ई–आक्शन की नियम एवं शर्तों का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली सचिव महोदय/उपाध्यक्ष महोदय को अग्रसारित करना चाहें।

05/02/21
(अरविन्द कुमार)
जिलेदार

05/02/21
मो0 आरिफ
अनुभाग अधिकारी
ल0वि0प्रा0

(सिनीता चतुर्वेदी)
नायब तह0/स0अधि0
ल0वि0प्रा0

08/2/21
(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
ल0वि0प्रा0

V.C.

(पवन कुमार गंगवार)
सचिव

(ऋतु सुहास)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

4702/21
9/2/21
16/3/21

234/N.T/2021
5744
9-2-21

कार्यालय सचिव कक्ष
सं0 S-5716
तिथि 09/02/21

उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0
फाइल नं0 2911
दिनांक 2/3/21

(८)

पत्रावली आज दि० 17/03/2021 को प्राप्त हुयी है।

१८.०३.२०२१

(ऋतु सुहास)
संयुक्त सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
16/3/21